# कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा)जिला रायगढ़(छ.ग.)

## संशोधित

क्रमांक / 1112 /स.अ.भू.अ./2020 रायगढ़ दिनांक 9/9/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रायगढ़(छ.ग.)

विषयः– छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की विद्यमान 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई में प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ग्राम जुर्डा जिला रायगढ़ तक 132 के.व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रदर्श 'स' एवं फार्म–1 मे प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भः– छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.आ. /अ.उ.दा. निर्माण/संभाग/62 बिलासपुर दिनांक 08/04/2019।

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगें। छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई में प्रस्तावित एन. टी. पी. सी. लिमिटेड ग्राम जुर्डा जिला रायगढ़ तक 132 के.व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित ग्राम बासनपाली राईतराई बुलाकी कंवरीहा लिंजिर लोहरसिंग झारमुड़ा औरदा मौहापाली डुमरमुड़ा दर्रामुड़ा गुड़गहन एवं नावापाली तहसील पुसौर तथ जुर्डा एवं पण्डरीपानी तथा कक्ष क्रमांक 1010 तहसील रायगढ़ स्थित गैर खाते की राजस्व वन भूमि कुल प्रभावित रकबा 9.589 हे. के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रारूप प्रदर्श 'स' एवं लिनियर प्रकरण हेतु फार्म–1 में जानकारी चाही गई है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ के द्वारा विहित प्रारूप में जानकारी प्रदाय की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ से प्राप्त जानकारी के अनुसार छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. की विद्यमान 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई में प्रस्तावित एन. टी. पी. सी लिमिटेड ग्राम जुर्डा जिला रायगढ तक 132 के.व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 9.589 हे. के संबंध में प्रदर्श 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु निर्धारित प्रारूप फार्म–1 में जानकारी तैयार कर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानूसार।

कलेक्टर
रायगढ(छ.ग.)

पृ. क्रमांक 1112 A/स.अ.भू.अ./2020 रायगढ दिनांक 9/9/2020

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड़ रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
2. छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ (छ.ग.)

# कार्यलय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़(छ.ग.)
## संशोधित

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित की विद्यमान 132 के के. व्ही. उपकेन्द्र कोड़ातराई में प्रस्तावित एन. टी. पी. सी. लिमिटेड ग्राम जुर्डा जिला रायगढ़ तक 132 के.व्ही. डी. सी. डी. एस. लाईन निर्माण हेतु रायगढ़ जिला रायगढ़ के रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत ग्राम बासनपाली राईतराई बुलाकी कंवरीहा लिंजिर लोहरसिंग झारमुड़ा औरदा मौहापाली डुमरमुड़ा दर्रामुड़ा गुड़गहन नावापाली जुर्डा एवं पण्डरीपानी के राजस्व वन भूमि 7.399 हे. एवं कक्ष क्रमांक 1010 आरक्षित वन भूमि 2.190 हे. व्यपवर्तन हेतु कुल भूमि 9.589 हें. राजस्व वन एवं वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1– प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है। तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की प्रभावित रकबा 9.589 हें. राजस्व वन भूमि एवं आरक्षित वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम बासनपाली राईतराई बुलाकी कंवरीहा लिंजिर लोहरसिंग झारमुड़ा औरदा मौहापाली डुमरमुड़ा दर्रामुड़ा गुड़गहन एवं नावापाली तहसील पुसौर में स्थित है तथा जुर्डा एवं पण्डरीपानी तहसील रायगढ़ में स्थित है। तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक /11–9/98– एफ.सी.(पी.टी.) एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहर पाईप लाईन आप्टीकल फायबर बिछाव एवं संचरण लाईनो जैसी परियोजनाओं का गमन (रेखिय व्यवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2– प्रमाणित किया जाता है कि सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्ताव अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समुह (पी. टी. सी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधिन वन पर निवासरत नही है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 03 (i)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संराक्षित रखना है।

अथवा

| क्रमांक | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा हे. मे |
|---|---|---|---|
| 1 | बासनपाली | निरंक | निरंक |
| 2 | राईतराई | निरंक | निरंक |
| 3 | बुलाकी | निरंक | निरंक |
| 4 | कंवरीहा | निरंक | निरंक |
| 5 | लिंजिर | निरंक | निरंक |
| 6 | लोहरसिंग | निरंक | निरंक |
| 7 | झारमुडा | निरंक | निरंक |
| 8 | औरदा | निरंक | निरंक |
| 9 | मौहापाली | निरंक | निरंक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | डुमरमुडा | निरंक | निरंक |
| 11 | दर्रामुडा | निरंक | निरंक |
| 12 | गुडगहन | निरंक | निरंक |
| 13 | नावापाली | निरंक | निरंक |
| 14 | जुर्डा | निरंक | निरंक |
| 15 | पण्डरीपानी | निरंक | निरंक |
| 16 | जुर्डा | निरंक | थ्नरंक |
| | कक्ष क्रमांक 1010 | निरंक | निरंक |

3– प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधिन राजस्व वन भूमि पर निवासरत नही है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्य निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (i)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4– संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदनों संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित राजस्व वन भूमि एवं कक्ष क्रमांक 1010 पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो) की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Revised

Annexure-I

**FORM-1**

(For linear project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Raigarh

No..1112.....

Date 9.9.2020

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 ( 'FRA' for short ) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 7.399 hectares of Revenue forest land 2.190 Hec. proposed to be diverted in favour of (CSPTCL Bilaspur) of forest land and forest land total 28 kh.No. (total Affected Area 7.399) ha.Revenue forest land and one forest land proposed be diverted in favour of CSPTCL Bilaspur for diversion of forest land in Raigarh/Pusour Tehsil it further certified that.

(a)The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total 28 kh. No. And one forest compartment area 2.190 total 9.589 hectares (Bilaspur) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed.

(B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As Above

**(Bhim Singh)**

**District Collector Raigarh**